

प्रेषक,

अनिल संत,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०,
लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: ०१ सितम्बर, 2011

विषय: बी०टी०सी० चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-राशै/1248/2011-12 दिनांक 25.4.2011 एवं पत्रांक-राशै/1897/2011-12 दिनांक 5.5.2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में बी०टी०सी० प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-843/15-11/ दिनांक 14.5.2010 एवं तत्सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति संख्या-847/15-11-2010 दिनांक 19.5.2010, संख्या-1009/15-11-2010 दिनांक 1.6.2010 तथा संख्या-1263/15-11-2010 दिनांक 16.7.2010 को अतिक्रमित करते हुये बी०टी०सी० प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1- **बी०टी०सी० प्रशिक्षण-**

प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का सेवापूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा जिसे बेसिक टीचर सर्टीफिकेट (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण कहा जायेगा।

2-

प्रशिक्षण हेतु आवेदन-बी०टी०सी० प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी अपने निवास के जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन करेंगे। सम्बन्धित जनपद का निवास प्रमाण पत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। उ०प्र० के उन जनपदों, जहां स्थापित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को एन०सी०टी०ई० द्वारा बी०टी०सी० प्रशिक्षण हेतु सीटों की मान्यता प्राप्त नहीं है अथवा नवसृजित जनपदों, जहां डायट की स्थापना नहीं हो सकी है, उनमें रहने वाले अभ्यर्थी अपने निवास से सम्बन्धित उस जनपद में आवेदन पत्र भेज सकेंगे, जिस अविभाजित पूर्व/मूल जनपद का वह हिस्सा है। इस प्रकार आवेदकों की सुविधा हेतु निम्नवत् कॉलम-1 में उल्लिखित जनपद के निवासी कॉलम-2 में उल्लिखित जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में आवेदन कर सकते हैं।

कॉलम-1	कॉलम-2
जे०पी० नगर	डायट, कांठ-मुरादाबाद
कांशीरामनगर	डायट, हरचन्दपुरकला-एटा
फर्रुखाबाद	डायट, छिबरागऊ-कन्नौज
चन्दौली	डायट, सारनाथ-वाराणसी
संतकबीरनगर	डायट, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स-बस्ती
अम्बेडकरनगर	डायट, फैजाबाद
बलरामपुर	डायट, दजीकूआँ-गोण्डा
श्रावस्ती	डायट, पयागपुर-बहराइच
हमीरपुर	डायट, चरखारी-महोबा
छत्रपति शाहूजी महाराजनगर	सुल्तानपुर

कॉलम-1 में उल्लिखित जनपद के अभ्यर्थियों को चयन के उपरान्त कॉलम-1 में उल्लिखित जनपद का ही निवास प्रमाण पत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। कॉलम-1 के अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट कॉलम-2 में उल्लिखित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के पदनाम से, जो कॉलम-2 के जनपद में देय हो, संलग्न करना होगा। नव सृजित एवं विभाजित जनपद के अभ्यर्थियों को बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चयन में समान अवसर देने के उद्देश्य से कॉलम-2 के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु आवंटित सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों पर कॉलम-1 में उल्लिखित जनपद के अभ्यर्थियों को चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा, परन्तु यदि चयन की तिथि तक कॉलम-1 में उल्लिखित जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में एन0सी0टी0ई0 द्वारा सीट आवंटित हो जाती है, तो सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को आवंटित सीट संख्या के प्रति चयन की कार्यवाही की जायेगी।

3- आवेदन हेतु पात्रता-

(क) शैक्षिक अर्हता - बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे, जो उसी जनपद के निवासी हों, जहां प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर रहे हों तथा जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0कॉम0 परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी। बी0कॉम0 अर्हताधारी अभ्यर्थियों को कला वर्ग में रखा जायेगा।

(ख) आयु - आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2011 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार "यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।", देय होगी।

4- चयन की प्रक्रिया-

(1) बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0कॉम परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये जनपद स्तरीय श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयताक्रम में वर्ग/श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जायेगी। गुणांक के आगणन में प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंकों में पूर्णांकित (round off) किया जायेगा।

(2) बी0एस0सी0, बी0एस0सी0(एजी0) अथवा बी0एस0सी0(गृह विज्ञान) से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी माने जायेंगे, यदि उन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा भी विज्ञान/कृषि वर्ग से उत्तीर्ण की हो।

(3) जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों तथा अपने जनपद की ऐसी निजी संस्थाओं, जिनको एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु मान्यता के उपरान्त

राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है, को आवंटित सीटों के प्रति आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुये वरीयताक्रम में औपबन्धिक चयन सूची निर्गत की जायेगी।

- (4) औपबन्धिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को मूल अभिलेखों (अंकपत्रों तथा प्रमाण पत्रों आदि) के साथ जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा जांच हेतु निर्धारित तिथि को आमंत्रित किया जायेगा। अभिलेखों की जांच के समय भराये जाने वाले जांच प्रपत्र में अभ्यर्थियों को संस्थान की वरीयता (choice) देनी होगी, परन्तु अभ्यर्थी को सीट आवंटित करने का अन्तिम अधिकार जनपद स्तरीय चयन समिति का होगा। एक बार संस्था/सीट आवंटन के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- (5) सभी जनपदों में औपबन्धिक चयन सूची के अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की जांच एक ही तिथि को होगी।
- (6) डायट तथा निजी संस्था हेतु अभिलेखों की जांच (काउन्सिलिंग) दो चक्र में की जायेगी।
- (7) पहले जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान हेतु आवंटित सीटों के प्रति चयन किया जायेगा। उसके बाद निजी संस्थाओं को अभ्यर्थी उपलब्ध कराये जायेंगे।

5- सीटों का आवंटन-

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवंटित सीटों का विभाजन निम्नवत् होगा-

- (क) बी0टी0सी0 चयन में 50 प्रतिशत महिला एवं 50 प्रतिशत पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा, उनमें भी 50 प्रतिशत कला वर्ग के तथा 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा, परन्तु एन0सी0टी0ई0 से मान्यता तथा प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त ऐसी निजी संस्थाएं, जो केवल महिलाओं हेतु है, में महिला अभ्यर्थी ही चयनित किये जायेंगे।
- (ख) यदि किसी श्रेणी हेतु आवंटित सीट संख्या ऐसी है कि उसका महिला/पुरुष तथा विज्ञान/कला में विभाजन सम्भव न हो, तो महिला/पुरुष तथा विज्ञान/कला का भेद न करते हुये आरक्षण का ध्यान रखते हुये सर्वोच्च गुणांक के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
- (ग) उत्तर प्रदेश के ऐसे शिक्षा मित्र, जो चयन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करते हों, उनके लिये 10 प्रतिशत सीटें सुरक्षित रखी जायेगी। इसमें वे शिक्षा मित्र ही पात्र होंगे, जिन्होंने शिक्षा मित्र के रूप में कम से कम तीन शैक्षिक सत्र में कार्य किया हो तथा अद्यतन कार्यरत हो। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत एतद् सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र उन्हें आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करना अनिवार्य होगा। इन 10 प्रतिशत सीटों में 50 प्रतिशत पुरुष तथा 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जायेगा, परन्तु कला और विज्ञान वर्ग के प्रतिबन्ध की व्यवस्था नहीं होगी।

6- आवेदन पत्र आमंत्रित करना -

- (1) अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन-पत्र के प्रारूप में समस्त आवश्यक सूचनाएं मांगी जायेगी। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एकीकृत रूप से प्रदेश के बहुप्रसारित समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

- (2) आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.scertup.org पर अवलोकनार्थ/उपयोगार्थ उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र अपने निवास के जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट से अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा। अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
- (3) शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित अंक पत्र/प्रमाण पत्र तथा आरक्षण एवं विशेष आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित स्पष्ट पठनीय छायाप्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होंगी। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न न होने की दशा में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद के निर्गत शैक्षिक अंकपत्र तथा आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (4) अभ्यर्थी को उस जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा, जिस जनपद हेतु उसने आवेदन किया है।
- (5) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो भी सूचनाएं अंकित की जायेगी/विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे/जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित की गयी सूचना से भिन्न सूचना को तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र से इतर प्रमाण पत्र को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (6) एक बार आवेदन पत्र प्रेषित करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में परिवर्तन की किसी मांग को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (7) मूल अभिलेखों की जांच के समय आवेदन पत्र में उल्लिखित से इतर सूचनाओं तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों से इतर प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (8) अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह **undertaking** दी जायेगी कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है, तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जायेगी कि आवेदन पत्र प्रेषण की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र/प्रमाण पत्र/आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद की तिथि का निर्गत तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न से भिन्न कोई भी अंकपत्र/प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (9) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने पर उसके समस्त आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
- (10) प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को ₹0 10/- के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथपत्र अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) सहित प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को अनिवार्य रूप से देना होगा कि वह वास्तव में उ0प्र0 के जनपद का निवासी है, उसके द्वारा आवेदन पत्र और जांच प्रपत्र में भरा गया विवरण सत्य है, चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने अथवा चयन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर

उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। जांच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, यू0आई0डी0 में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। फोटो आईडी प्रूफ से उसके आवेदन पत्र में चस्पा फोटो का मिलान किया जायेगा।

7- निर्धारित शुल्क-

- (1) बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में आवेदन हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क रू0 200/- होगा तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये शुल्क रू0 400/- होगा। उक्त शुल्क का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के पदनाम से, जो सम्बन्धित जनपद में देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जनपद के ग्रामीण बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार्य होगा, यदि सम्बन्धित ग्रामीण बैंक जनपद के राष्ट्रीयकृत बैंक, जो कि लीड बैंक के रूप में है, के क्षेत्राधिकार का है तथा बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित जनपद में देय हो। प्राचार्य द्वारा उक्त शुल्क किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा शुल्क का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार उक्त प्रशिक्षण सम्बन्धी श्रेष्ठता सूची तैयार करने तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु किया जायेगा। विकलांग अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

8- आरक्षण-

- अ. अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण व्यवस्था की जायेगी।
- ब. विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) का कोटा चयन की तिथि को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, 1997 तथा 1999 (यथा संशोधित) के अनुसार होगा। इन आरक्षित रिक्तियों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिससे वे सम्बन्धित हैं। विशेष आरक्षण के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक कोटे में अर्ह महिला अभ्यर्थी के स्रोत स्तर पर उपलब्ध न होने पर उक्त सीट को अर्ह आवेदक पुरुष/भूतपूर्व सैनिक से भरा जायेगा, परन्तु महिला और पुरुष तथा विज्ञान और कला के 50-50 प्रतिशत विभाजन यथावत् रहेगा क्योंकि उक्त आरक्षण क्षैतिज होता है।
- स. विज्ञान एवं कला वर्ग के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समायोजन के सम्बन्ध में कार्यवाही शासनादेश संख्या-269/15-11-10 दिनांक 4.3.2010 में दी गयी निम्नवत् व्यवस्था के अनुसार की जायेगी -

अनुसूचित जाति के रिक्त पदों हेतु

(1) (क) जिन जनपदों में महिला अनुसूचित जाति की विज्ञान वर्ग की रिक्त सीटों को भरे जाने वाली महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उन रिक्त सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला कला वर्ग की अर्ह अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित नियमानुसार किया जाय।

(ख) जिन जनपदों में महिला अनुसूचित जाति की कला वर्ग की रिक्त सीटों, जिन पर अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं उनके सापेक्ष महिला अनुसूचित जाति की विज्ञान वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाय।

(ग) उपर्युक्त (1)(क) एवं (ख) के अनुसार सीट न भरने की स्थिति में महिला अनुसूचित जाति की विज्ञान तथा कला वर्ग की रिक्त सीटों पर पुरुष अनुसूचित जाति के क्रमशः विज्ञान एवं कला वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाय।

“उपरोक्तानुसार जनपदवार पुरुष/अनुसूचित जाति की विज्ञान वर्ग एवं कला वर्ग की रिक्त सीटों के प्रति भी चयन उपर्युक्त (1)(क), (1)(ख) अथवा (1)(ग) के अनुसार किया जाए।”

अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के संबंध में

2. (क) महिला अनुसूचित जनजाति विज्ञान वर्ग की रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में महिला अनुसूचित जनजाति की कला वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाय।

(ख) महिला अनुसूचित जनजाति की कला वर्ग की रिक्त सीटों पर महिला अनुसूचित जनजाति की विज्ञान वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।

(ग) उपर्युक्त (2)(क) एवं (ख) के अनुसार भी सीट न भरने की स्थिति में महिला अनुसूचित जाति की विज्ञान तथा कला वर्ग की रिक्त सीटों पर पुरुष अनुसूचित जनजाति के क्रमशः विज्ञान एवं कला वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों का यथास्थित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाय।

अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग की रिक्त सीटों के प्रति भी चयन उपर्युक्त 2(क), (ख) एवं (ग) के अनुसार किया जाए।

अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों के संबंध में

(3)(क) महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग में विज्ञान वर्ग में अर्ह महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग की कला वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाय।

(ख) महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग की कला वर्ग में यदि अर्ह महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग की, विज्ञान वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।

(ग) उपर्युक्त (3)(क) एवं (3)(ख) के अनुसार भी सीट न भरने की स्थिति में महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग के कला तथा विज्ञान वर्ग की सीटों पर पुरुष/अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रमशः कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों का यथास्थित चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय।

अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष वर्ग की रिक्त सीटों के प्रति भी चयन उपर्युक्त (3)(क), (3)(ख) एवं (3)(ग) के अनुसार किया जाय।

9- चयन समिति के सदस्य -

(1) प्रशिक्षणार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा:-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
3.	प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, राजकीय इण्टर कॉलेज/ राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, जिला मुख्यालय	सदस्य
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य सचिव

(2) उक्तवत् गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा चयन से संबंधित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। चयन के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

10- प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का मानदेय (स्टाईपेण्ड) देय नहीं होगा।

11- प्रशिक्षण शुल्क-

(1) बी0टी0सी0 प्रशिक्षण दो वर्षीय नियमित प्रशिक्षण है, जिसमें चार सेमेस्टर हैं। डायट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष रू0 4600/- होगा। उक्त शुल्क का मदवार विवरण संलग्न है।

(2) निजी संस्थाओं हेतु शुल्क, शुल्क निर्धारण करने के लिये गठित समिति के निर्णय के अनुसार होगा।

(3) प्रशिक्षण अनावासीय होगा।

12- प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने से पूर्व उनके आवेदन पत्र में अंकित विवरण से तथा संलग्नकों का मिलान आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों से किया जायेगा। इसके साथ ही प्रवेश देते समय आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो से अभ्यर्थी का मिलान कर लिया जाय तथा उसकी पुष्टि फोटो आई0डी0 से भी की जाय। बाद में उनके मूल अभिलेखों की जांच/सत्यापन भी सम्बन्धित निर्गमन संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व कराया जायेगा। चयन/जांच/प्रवेश/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर विसंगति पाये जाने पर चयनित/प्रशिक्षित/नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी।

13- अल्पसंख्यक संस्था - एन0सी0टी0ई0 से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त ऐसी निजी संस्थाओं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया है, की 50 प्रतिशत सीटों पर चयन जनपदीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत सीटों पर चयन इस शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित संस्थान द्वारा किया जायेगा।

14— चयन प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु निम्नलिखित समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है—

(1)	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को यथाआवश्यक निर्देश दिया जाना तथा एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित कराना	शासनादेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर
(2)	आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से तीन सप्ताह में
(3)	प्राप्त आवेदन की सूचनाओं को कम्प्यूटर में फीड करना/क्रॉस चेकिंग के उपरान्त श्रेष्ठता क्रम औपबन्धिक चयन सूची तैयार करना	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 15 दिन के अन्दर
(4)	डायट का चयन कार्य एवं प्रवेश पूर्ण करना	बिन्दु-3 के 15 दिन के अन्दर
(5)	निजी संस्थाओं का चयन कार्य एवं प्रवेश पूर्ण करना	बिन्दु-4 के 15 दिन के अन्दर
(6)	प्रशिक्षण प्रारम्भ	बिन्दु-5 के एक सप्ताह के अन्दर

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीय,
11/9/11
(अनिल सत)
सचिव।

1456
संख्या—~~908~~(1)/15-11-2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र०, निशातगंज, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०।
5. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी/रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं, उ०प्र०, इलाहाबाद।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
11/9/11
(सी०पी० सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-1456/15-11-2011-908/11 दिनांक

01 सितम्बर,
अगस्त, 2011 का संलग्नक

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में बी०टी०सी० प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले प्रस्तावित शुल्क का मदवार विवरण

क्र०सं०	मद	प्रथम वर्ष का शुल्क	द्वितीय वर्ष का शुल्क
1	शिक्षण शुल्क (राजकोष में जमा किया जायेगा)	1200	1200
2	कॉशन मनी (रिफण्डेबल)	1000	-
3	परिचय पत्र शुल्क	50	50
4	पत्रिका शुल्क	130	130
5	क्रीड़ा शुल्क	200	200
6	क्राफ्ट शुल्क	200	200
7	विद्युत शुल्क	600	600
8	अनुरक्षण/विकास शुल्क	600	600
9	एक्सपोजर विजिट	-	1000
10	वाचनालय	120	120
11	विज्ञान एवं कम्प्यूटर शुल्क	500	500
	योग	4600	4600
	छात्रावास शुल्क (छात्रावास की सुविधा के इच्छुक छात्रों हेतु, इसमें मेस का चार्ज सम्मिलित नहीं)	1200	1200

नोट-उक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क तथा अंकपत्र शुल्क सम्मिलित नहीं है।


(सी०पी० सिंह)
अनु सचिव।